NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 3-09-2024

विषय सूची

एशियाई शहरों में बाह्य विस्तार की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर वृद्धि अधिक हो रही है

बुलडोजर न्याय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के आदेश

पार्किंसंस रोग के लिए माइटोकॉन्ड्रियल उपचार

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती माँग

भारत का सेमीकंडक्टर प्रयोजन

डिजिटल कृषि मिशन

संक्षिप्त समाचार

सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया

भारत की चीन से संबंधित विशेष समस्या

ईश्रम पोर्टल

राष्ट्रीय पोषण माह 2024

LGBTQIA+ समुदाय के लिए उपाय

एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल

ऑपरेशन भेड़िया

हयाओ मियाजाकी ने मैग्सेसे पुरस्कार (2024) जीता

एशियाई शहरों में बाह्य विस्तार की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर वृद्धि अधिक हो रही है

संदर्भ

- **नेचर सिटीज** में प्रकाशित एक नए अध्ययन में पाया गया है कि विश्व भर के शहर, विशेष रूप से एशिया में, बाह्य विस्तार की अपेक्षा ऊर्ध्वगामी वृद्धि तीव्र गति से हो रही हैं।

परिचय

- 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ऊर्ध्वाधर वृद्धि अधिक स्पष्ट थी और यह प्रभाव 2010 के दशक में अधिक स्पष्ट हो गया।
- भारतीय शहरों में एक समान ऊर्ध्वगामी वृद्धि नहीं देखी गई, केवल 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में ही ऊर्ध्वगामी वृद्धि या बाह्य विस्तार या केवल बाह्य विस्तार देखा गया, जो कि अधिकतर 2010 के दशक में देखा गया।
- **चीन, जापान, दक्षिण कोरिया** और अन्य पूर्वी एशियाई देशों ने विश्व में सबसे नाटकीय शहरी परिवर्तनों में से एक का अनुभव किया है, जिसकी विशेषता ऊँची इमारतों का तीव्र गति से प्रसार है, विशेष रूप से इसके प्रमुख शहरों में।
  - **शंघाई, शेन्ज़ेन, बीजिंग और ग्वांगझोउ** जैसे शहर ऊँची इमारतों और गगनचुंबी इमारतों से पूर्ण अपने प्रभावशाली क्षितिज के लिए जाने जाते हैं।
- भारत में, **मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई** जैसे शहरों में ऊर्ध्वाधर विकास में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है।

शहरों में ऊर्ध्वगामी वृद्धि के कारण

- **वैश्विक शहरीकरण की प्रवृत्ति:** विश्व में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में अधिक लोग रहते हैं। जनसंख्या में इस परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए, शहर बाह्य विस्तार की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर वृद्धि कर रहे हैं।
- **भूमि की ऊँची लागत:** जैसे-जैसे शहरी केंद्रों में भूमि की कीमतें बढ़ती हैं, क्षैतिज विस्तार की तुलना में ऊर्ध्वाधर निर्माण करना आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य हो जाता है।
- **उन्नत निर्माण तकनीक:** इंजीनियरिंग और निर्माण प्रौद्योगिकी में प्रगति ने ऊँची इमारतों का निर्माण करना आसान और सुरक्षित बना दिया है।
  - सामग्रियों, डिजाइन और निर्माण विधियों में नवाचारों ने शहरों को ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित होने में सक्षम बनाया है।
- **बदलती जीवनशैली:** शहरी निवासी, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, ऊँची इमारतों में रहने से मिलने वाली सुविधाओं और सुख-सुविधाओं की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, जैसे कि कार्यस्थल, खरीदारी और मनोरंजन के लिए निकटता।

शहरी विकास में ऊर्ध्वाधर परिवर्तन के लाभ

- ऊँची इमारतें अधिक लोगों को छोटे क्षेत्र में रहने की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे सीमित शहरी भूमि का बेहतर उपयोग होता है।
  - इससे शहरी विस्तार को कम किया जा सकता है, तथा शहर की सीमा के बाहर हरित क्षेत्रों और कृषि भूमि को संरक्षित किया जा सकता है।
- ऊर्ध्वाधर विकास में जनसंख्या को केन्द्रित करने से परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन और उपयोगिताओं जैसी सार्वजनिक सेवाओं का अधिक कुशल वितरण हो सकता है।

- ऊर्ध्वाधर शहर लंबी यात्रा की आवश्यकता को कम कर सकते हैं, क्योंकि लोग कार्यस्थल के निकट रहते हैं, जिससे यातायात की भीड़ कम होती है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है।
- ऊँची इमारतें, विशेषकर जब हरित प्रौद्योगिकियों के साथ डिजाइन की गई हों, कम घनत्व वाले शहरी विकास की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल और टिकाऊ हो सकती हैं।

शहरी विकास में ऊर्ध्वाधर परिवर्तन के नकारात्मक परिणाम

- ऊर्ध्वाधर विकास के कारण जनजातीयकरण होता है, निम्न आय वर्ग की जनसंख्या विस्थापित होती है और सामाजिक असमानता बढ़ती है।
- मौजूदा बुनियादी ढाँचे, जैसे सड़कें, सीवेज प्रणालियाँ और सार्वजनिक परिवहन, बढ़ते घनत्व को संभालने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भीड़भाड़ हो सकती है और सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
- ऊँची इमारतें शहरी ताप द्वीप बना सकती हैं, जहाँ कंक्रीट का जमाव और हरित स्थान की कमी के कारण स्थानीय तापमान बढ़ जाता है, जिससे सूक्ष्म जलवायु प्रभावित होती है।
- ऊँची इमारतें आपातकालीन सेवाओं जैसे अग्निशमन और निकासी के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं, विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में।
- ऊँची इमारतों के निवासियों को सामाजिक अलगाव का अनुभव होता है, क्योंकि अधिक क्षैतिज, समुदाय-आधारित शहरी डिजाइनों की तुलना में ऊर्ध्वाधर जीवन शैली पड़ोसियों के साथ संवाद के अवसरों को कम कर देती है।

समापन टिप्पणी

- ऊँची इमारतों का चलन तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण, भूमि की कमी और टिकाऊ शहरी विकास की आवश्यकता की चुनौतियों का समाधान है।
- यद्यपि ऊर्ध्वाधर विकास अनेक लाभ प्रदान करते है, लेकिन इसके साथ चुनौतियाँ भी आती हैं, जिनका सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए।
- ऊँची इमारतों के विकास के भविष्य में संभवतः आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन शामिल होगा, जिसमें रहने योग्य, लचीले शहरी वातावरण के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

Source: TH

बुलडोजर न्याय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के आदेश

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने **"बुलडोजर न्याय"** पर असहमति व्यक्त की है, जहाँ आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है।

'बुलडोजर न्याय' क्या है?

- 'बुलडोजर न्याय', जिसे **बुलडोजर राजनीति** के रूप में भी जाना जाता है, कथित अपराधियों, सांप्रदायिक हिंसा दंगाइयों और आरोपी अपराधियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए भारी मशीनरी का उपयोग करने की प्रथा को संदर्भित करता है।
- **'बुलडोजर न्याय'** के अंतर्गत पूरे भारत में, विशेष रूप से **उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और महाराष्ट्र** जैसे राज्यों में घरों, दुकानों और छोटे प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाया गया।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी किसी आपराधिक कृत्य में शामिल है।
    - भले ही वह दोषी हो, फिर भी विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।
- न्यायालय ने किसी भी प्रकार के ध्वस्तीकरण से पहले उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के महत्त्व को रेखांकित किया तथा इस मुद्दे के समाधान के लिए राष्ट्रव्यापी दिशा-निर्देशों की आवश्यकता व्यक्त की।

बुलडोजर न्याय से संबंधित मुद्दे

- **वंचित समुदायों को निशाना बनाना:** बुलडोजर न्याय वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों पर असंगत रूप से प्रभाव डालता है, तथा विद्यमान असमानताओं और सामाजिक विभाजनों को बनाये रखता है।
- **विधि के शासन को कमजोर करना:** बुलडोजर न्याय स्थापित विधिक प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज कर देता है, विधि के शासन और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों को कमजोर करता है, जिससे राजनीतिक संस्थाओं में जनता का विश्वास समाप्त हो जाता है।
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** बुलडोजर न्याय कार्य प्रणाली प्रायः बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, जिसमें आश्रय का अधिकार और राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है।
    - बेदखल किए गए लोगों के लिए पुनर्वास या क्षतिपूर्ति का अभाव गंभीर नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- **नैतिक मुद्दे:** बुलडोजर न्याय न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिकाओं को मिश्रित कर देता है, जिससे अन्यायपूर्ण परिणाम समक्ष आते हैं। सज़ा आनुपातिक होनी चाहिए और दोषी को दी जानी चाहिए, न कि निर्दोष परिवार के सदस्यों को।
- **मनोवैज्ञानिक आघात:** विध्वंस की अचानक और प्रायः हिंसक प्रकृति, न केवल सीधे प्रभावित व्यक्तियों के लिए, बल्कि पूरे समुदाय के लिए, गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बन सकती है।

आगे की राह

- बुलडोजर न्याय भय और प्रतिशोध की संस्कृति पैदा करता है, जहाँ लोगों को निष्पक्ष सुनवाई के बिना दंडित किया जाता है, जिससे वे अपना बचाव कर सकें।
- यह दृष्टिकोण मूलतः न्याय और विधि के शासन के सिद्धांतों के विपरीत है, जिसे भारत के संस्थापकों ने सभ्य लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक माना था।
- एक लोकतांत्रिक समाज में न्याय का आशय प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, बल्कि दंडात्मक उपायों का उद्देश्य दोषियों को सुधारना होना चाहिए।

प्रतिशोधात्मक न्याय क्या है?

- यह न्याय का एक सिद्धांत है, जो गलत कार्य के प्रति प्राथमिक प्रतिक्रिया के रूप में दंड पर बल देता है।
- इस सिद्धांत के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उसे उसके अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंड मिलना चाहिए।
- अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि दंड, किए गए अपराध के लिए नैतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, जो अपराधी द्वारा पहुँचाई गई क्षति और उसके परिणामस्वरूप उसे सहन की गई पीड़ा के बीच

संतुलन को प्रतिबिंबित करता हो।

प्रतिशोधात्मक न्याय की चुनौतियाँ

- **पश्चगमन :** न्याय के अन्य सिद्धांतों के विपरीत, जो भविष्य के परिणामों (जैसे निवारण या पुनर्वास) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह अतीत में किए गए गलत कार्यों पर प्रतिक्रिया देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **कठोर दंड:** यदि सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन न किया जाए, तो प्रतिशोधात्मक न्याय अत्यधिक कठोर दंड का कारण बन सकता है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ आनुपातिकता की अवधारणा अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है।

Source: IE

पार्किंसंस रोग के लिए माइटोकॉन्ड्रियल उपचार

संदर्भ

- हालिया शोध में एक प्रमुख प्रोटीन की पहचान की गई है, जो पार्किंसंस रोग और अन्य मस्तिष्क संबंधी स्थितियों के लिए नए उपचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

परिचय

- पार्किंसंस रोग का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता माइटोकॉन्ड्रिया (जो कोशिकाओं को ईंधन प्रदान करने वाला केंद्र है) की पार्किंसंस रोग में भूमिका की जाँच कर रहे हैं।
- शोधकर्ताओं ने एक प्रमुख प्रोटीन की पहचान की है, जो पार्किंसंस रोग और अन्य मस्तिष्क संबंधी स्थितियों के लिए नए उपचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

माइटोकॉन्ड्रियल गतिशीलता और न्यूरोडीजनरेशन

- उभरते अध्ययनों ने माइटोकॉन्ड्रियल प्रक्रियाओं में असंतुलन को पार्किंसंस रोग सहित विभिन्न न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों से जोड़ा है।
  - माइटोकॉन्ड्रियल गतिशीलता में गड़बड़ी के कारण कोशिका की सफाई और अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रक्रिया भी बाधित होती है, जिसके कारण विषाक्त प्रोटीनों का ढेर लग जाता है, जो कोशिका के अंदर हानिकारक समूहों का निर्माण करते हैं।
  - पार्किंसंस रोग में इन विषैले प्रोटीन समुच्चयों की उपस्थिति रोग की पहचान है।

पार्किंसंस रोग

- पार्किंसंस रोग (PD) एक **न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार** है, जो मस्तिष्क की डोपामाइन का उत्पादन करने की क्षमता को बाधित करता है, जो गति नियंत्रण के लिए जिम्मेदार एक महत्त्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है।
  - पी.डी. समय के साथ बदतर होती जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार और दवाइयों से लक्षणों को कम किया जा सकता है।
- सामान्य लक्षणों में कम्पन, दर्दनाक मांसपेशी संकुचन और बोलने में कठिनाई शामिल हैं।
  - पार्किंसन रोग के कारण विकलांगता की दर बहुत अधिक होती है और देखभाल की आवश्यकता होती है। पी.डी. से पीड़ित कई लोगों में मनोभ्रंश भी विकसित हो जाता है।

- यह रोग सामान्यतः वृद्ध लोगों को होती है, लेकिन युवा लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुष इससे अधिक प्रभावित होते हैं।
- वर्ष 1817 में, **जेम्स पार्किंसन** नामक एक ब्रिटिश चिकित्सक ने शेकिंग पाल्सी पर एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें पहली बार एक न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार के मामलों का वर्णन किया गया, जिसे अब पार्किंसंस रोग के रूप में जाना जाता है।
- आज, पार्किंसंस रोग अमेरिका में दूसरा सबसे आम न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग है।
    - यह लगभग 1 मिलियन अमेरिकियों और विश्व भर में 10 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है।

भारत में पार्किंसन रोग

- भारत में, बढ़ती जीवन प्रत्याशा और बढ़ती जनसंख्या, पी.डी. के बढ़ते बोझ में योगदान दे रही है।
- पश्चिमी देशों के विपरीत, भारत एक महत्त्वपूर्ण बाधा से जूझ रहा है - पी.डी. सामान्यतः कम उम्र में प्रकट होता है, तथा लगभग एक दशक पहले 51 वर्ष की आयु के लोगों को प्रभावित करता है।
    - इस प्रारंभिक शुरुआत के गंभीर परिणाम होते हैं, जो व्यक्ति के मुख्य कार्य वर्षों को प्रभावित करते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूरोलॉजिस्टों की कमी के कारण प्रायः निदान में देरी होती है और प्रारंभिक उपचार अपर्याप्त हो जाता है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीयों में पार्किंसंस, मिर्गी और मनोभ्रंश जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए, सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तंत्रिका संबंधी देखभाल प्रदान करने का निर्णय लिया है।

Source: TH

भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती माँग

संदर्भ

- पिछले कुछ वर्षों में दृष्टिकोण में आए परिवर्तन के कारण भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की माँग बढ़ रही है।
    - आँकड़ों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच स्थिर हो गई है, जागरूकता में वृद्धि हुई है और इसके प्रति आक्षेप में कमी आई है।

भारत में मनोचिकित्सकों की कमी

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर कम से कम तीन मनोचिकित्सक होने चाहिए।
- नवीनतम **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण** (एनएमएचएस) के अनुसार, जो 2015 और 2016 के बीच आयोजित किया गया था, भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक हैं।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी 2023 की रिपोर्ट **'समकालीन समय में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उसका प्रबंधन'** में कहा कि उस समय भारत में 9,000 मनोचिकित्सक कार्यरत थे।
    - यदि प्रति एक लाख जनसंख्या पर तीन मनोचिकित्सकों का लक्ष्य है, तो भारत को **36,000** की आवश्यकता होगी।

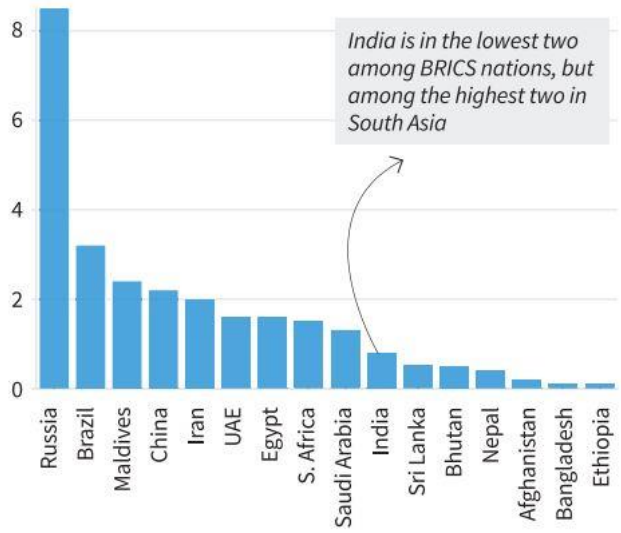

- ब्रिक्स देशों में भारत उन दो देशों में से एक है, जहाँ प्रति व्यक्ति मनोचिकित्सकों की संख्या **सबसे कम** है; दूसरा देश इथियोपिया है।
- प्रत्येक वर्ष लगभग 1,000 मनोचिकित्सक कार्यबल में प्रवेश करते हैं।
    - यदि बेरोजगारी और बेरोजगारी जैसे कारकों को अलग रखा जाए, तो भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित लक्ष्य को प्राप्त करने में लगभग 27 वर्ष लगेंगे।
    - यदि भारत इस लक्ष्य को पहले हासिल करना चाहता है, तो उसे आपूर्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

मानसिक बीमारी के कारण-

- प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के संपर्क में आना - जिसमें गरीबी, हिंसा, असमानता और पर्यावरणीय अभाव शामिल हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में, महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन और उनसे जुड़ी अनिश्चितताओं ने मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला है
- प्रारंभिक प्रतिकूल जीवन अनुभव, जैसे आघात या दुर्व्यवहार का इतिहास (उदाहरण के लिए, बाल दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, हिंसा देखना, आदि)
- शराब या नशीली दवाओं का प्रयोग, अकेलेपन या अलगाव की भावना होना आदि।
- **पारिवारिक गतिशीलता:** खराब पारिवारिक रिश्ते और सहायता प्रणालियों की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

मुद्दे और चिंताएँ

- पिछले कुछ दशकों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ तेजी से बढ़ी हैं।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015-16 से पता चला है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में मानसिक विकार 10.6 प्रतिशत है, 30-49 वर्ष के उत्पादक आयु वर्ग में यह 16 प्रतिशत है, तथा 150 मिलियन लोग आजीवन रुग्णता से प्रभावित हैं, तथा एक प्रतिशत लोगों में आत्महत्या का उच्च जोखिम पाया गया है।
- मानव संसाधन और उपचार सुविधाएँ कम हैं।
- नीति निर्माताओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने में कमी है।

भारत सरकार की पहल

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी):** 1982 में प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाना और जागरूकता बढ़ाना है।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** इस अधिनियम ने भारत में आत्महत्या के प्रयासों को अपराध से मुक्त कर दिया और मानसिक बीमारियों के वर्गीकरण में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों को भी शामिल किया।
    - अधिनियम का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान **"उन्नत निर्देश"** था, जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को अपने उपचार का तरीका तय करने की अनुमति देता था।
    - इसने **इलेक्ट्रो-कन्वल्सिव थेरेपी (ईसीटी)** के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया, तथा नाबालिगों पर इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे अंततः भारतीय समाज में आक्षेप से निपटने के लिए उपाय प्रारंभ किए गए।
- **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2017:** यह अधिनियम मानसिक बीमारी को विकलांगता के रूप में स्वीकार करता है और विकलांगों के अधिकारों को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- **मनोदर्पण पहल: आत्मनिर्भर भारत अभियान** के अंतर्गत एक पहल, जिसका उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता प्रदान करना है।
- **किरण हेल्पलाइन:** यह हेल्पलाइन **आत्महत्या की रोकथाम** की दिशा में एक कदम है, और यह सहायता और संकट प्रबंधन में मदद कर सकती है।
- **राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** 2022 में प्रारंभ की जाने वाली इस पहल का उद्देश्य टेलीमेडिसिन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, विशेष रूप से वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में देखभाल तक पहुँच का विस्तार करना है।

आगे की राह

- लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, संवर्धन और देखभाल के लिए एक त्वरित और अच्छी तरह से संसाधनयुक्त समग्र-समाज दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
    - मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े गहरे आक्षेप को समाप्त करना, जो रोगियों को समय पर उपचार लेने से रोकता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना:** उच्च जोखिम वाले समूहों की जाँच और पहचान करने में मदद करना तथा परामर्श सेवाओं जैसे मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को मजबूत करना।
- **स्कूलों पर विशेष बल :** उन समूहों पर विशेष ध्यान देना जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, जैसे घरेलू या यौन हिंसा का सामना करने वाले बच्चे।
- **सस्ती सेवाएँ :** आयुष्मान भारत सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य आश्वासन योजनाएँ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की व्यापकतम संभव श्रेणी को समाविष्ट कर सकती हैं।

Source: TH

भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र में पहल

सुर्ख़ियों में

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए **केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड** के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

परिचय

- इस इकाई की स्थापना 3,300 करोड़ रुपये के निवेश से की जाएगी।
- इसकी प्रतिदिन **60 लाख चिप्स** उत्पादन की क्षमता होगी।
- उत्पादित चिप्स **औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और मोबाइल फोन** सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम आएँगी।
    - जून 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **गुजरात के साणंद** में पहली सेमीकंडक्टर इकाई को स्वीकृति प्रदान की।
    - फरवरी 2024 में तीन अतिरिक्त सेमीकंडक्टर इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई।

अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र

- स्मार्टफोन से लेकर चिकित्सा उपकरणों और वाहनों तक, विभिन्न आधुनिक प्रौद्योगिकियों में अर्धचालक आवश्यक घटक हैं।
    - व्यापक रूप से **5G अपनाने, क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग में वृद्धि और सरकारी डिजिटलीकरण प्रयासों** के कारण सेमीकंडक्टर की माँग में वृद्धि।
- वर्तमान में, विश्व का लगभग 70% सेमीकंडक्टर विनिर्माण **दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान** में केंद्रित है।
- भू-राजनीतिक दबावों और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों के कारण **चीन के प्रभुत्व** से वैश्विक स्तर पर दूरी बढ़ रही है।

भारत में स्थिति

- घरेलू निर्माण सुविधाओं की कमी के कारण भारत अपनी अर्धचालक उपकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है।
    - 2022 में, भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार का मूल्य 26.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2032 तक 26.3% की सीएजीआर से बढ़कर 271.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना प्रारंभ कर रहा है और भविष्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।
- अर्धचालक डिजाइन और बौद्धिक श्रम में भारत को महत्त्वपूर्ण बढ़त हासिल है।
- कई वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर भारतीय मूल के हैं, तथा **इंटेल और एनवीडिया** जैसी कंपनियों की भारत में बड़ी सुविधाएँ हैं।

- भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है, **टाटा समूह** जैसी कंपनियों का अनुमान है कि उनके गुजरात और असम संयंत्रों से वाणिज्यिक उत्पादन 2026 तक प्रारंभ हो जाएगा।
    - यह निर्णय कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर हुई चिप की कमी के मद्देनजर लिया गया है, जो आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर विनिर्माण के रणनीतिक महत्त्व को रेखांकित करता है।

चुनौतियाँ

- भूमि, विद्युत् और श्रम की उच्च लागत के कारण भारत को सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पहले निवेशक हतोत्साहित हुए हैं।
- प्रशिक्षित श्रमिकों की अनुपलब्धता
- एक अन्य प्रमुख चुनौती सहायक उद्योगों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- भारत में इकाइयाँ स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों के लिए सहायक उद्योगों की कमी एक बाधा बन जाती है।

सरकारी पहल:

- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):** यह **डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन** के अंतर्गत एक विशेषीकृत एवं स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है।
    - इसका उद्देश्य एक जीवंत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सके।
- **'मेक इन इंडिया'** पहल (2014) का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना:** भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करती है।
    - इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देना तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- **अतिरिक्त योजनाएँ: डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI):** अर्धचालक डिज़ाइन प्रयासों का समर्थन करता है।
    - **चिप्स टू स्टार्टअप (C2S):** सेमीकंडक्टर स्टार्टअप को बढ़ावा देता है।
    - **इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों को बढ़ावा देने की योजना (SPECS):** इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालक विनिर्माण को समर्थन देती है।
- सरकार अपनी चिप विनिर्माण प्रोत्साहन नीति के दूसरे चरण के लिए वित्तपोषण परिव्यय को पहले चरण के लिए प्रतिबद्ध 10 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 15 बिलियन डॉलर करने की योजना बना रही है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल को **यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)** के ढाँचे के अंतर्गत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इसकी आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार पर कार्य व्यवस्था पर भारत गणराज्य सरकार और यूरोपीय आयोग के बीच 2023 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) से अवगत कराया गया।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- रणनीतिक पहलों और साझेदारियों के कारण भारत सेमीकंडक्टर उद्योग में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है।
- प्रमुख अभिकर्ता बनने के लिए भारत को परमाणु स्तर पर परिशुद्धता विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा तथा **ताइवान, कोरिया और जापान** जैसे अभिकर्ताओं से सीखना होगा।
- जैसा कि प्रधान मंत्री ने बल दिया, **"भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर और संबंधित उत्पादों का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ कर देगा और इस क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बन जाएगा,"** जो कि **आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया** पहल के अंतर्गत तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के महत्त्वाकांक्षी अभियान का संकेत देता है।
- निरंतर प्रयासों और सक्रिय रुख के साथ, भारत एक अग्रणी सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की ओर अग्रसर है, जो तकनीकी उन्नति और आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान देगा।

Source: PIB

डिजिटल कृषि मिशन

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को स्वीकृति दी, जिसमें 1940 करोड़ रुपये का केंद्रीय योगदान शामिल है।

डिजिटल कृषि मिशन के संदर्भ में

- इसका उद्देश्य **क्लाउड कंप्यूटिंग, भू -अवलोकन, रिमोट सेंसिंग, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग मॉडल** में अत्याधुनिक प्रगति का उपयोग करके कृषि-तकनीक स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देना है।
- इसे डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में माना गया है, जैसे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) का कार्यान्वयन तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा अन्य आईटी पहलों को आगे बढ़ाना।

मिशन के आधार

- मूलतः, डीएएम का उद्देश्य भारत के कृषि परिदृश्य को डिजिटल पोषक तत्त्वों से पूर्ण कर उसे परिवर्तित करना है।
- **कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):** इसका उद्देश्य कृषकों और बटाईदार किसानों के लिए प्रमाणित जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है।

- यह प्रत्येक किसान को एक डिजिटल पहचान (आधार के समान) देने जैसा है - एक विश्वसनीय **'किसान की पहचान'** (एक डिजिटल किसान आईडी) - जबकि उन्हें प्रासंगिक राज्य और केंद्र सरकार के डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है।
- यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण अभिनव, किसान-केंद्रित सेवाओं का वादा करता है।

डिजिटल कृषि मिशन के तीन स्तंभ

- **एग्रीस्टैक:** किसानों का डिजिटल टूलबॉक्स। यह एक संघीय संरचना है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर बनाया है। एग्रीस्टैक में तीन मूलभूत रजिस्ट्री हैं:
  - **किसानों की रजिस्ट्री:** एक आभासी किसान निर्देशिका।
  - **भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र:** प्रत्येक गाँव के लिए, फसल विवरण के साथ।
  - **बोई गई फसल की रजिस्ट्री:** एक डिजिटल बहीखाता जिसमें बताया गया है कि कहाँ क्या उपज हो रहा है।
- **कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली:** यह किसानों को समय पर और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, जिससे उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसका उद्देश्य फसलों, मृदा, मौसम, जल संसाधनों आदि पर रिमोट सेंसिंग-आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली बनाना है।
- **मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रण:** यह मृदा के गुणों, नमी के स्तर और पोषक तत्त्वों का मानचित्रण करता है, जिससे परिशुद्ध कृषि को सशक्त बनाया जा सके।

किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय में वृद्धि के लिए अन्य योजनाएँ

- **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान:**इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु प्रतिरोध के लिए तैयार करना तथा 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
  - कुल परिव्यय 3,979 करोड़ रुपये।
  - **इसके निम्नलिखित स्तंभ हैं:** अनुसंधान और शिक्षा; पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन; खाद्य और चारा फसल के लिए आनुवंशिक सुधार; दलहन और तिलहन फसल सुधार; वाणिज्यिक फसलों में सुधार तथा कीटों, सूक्ष्म जीवों, परागणकों आदि पर अनुसंधान।
- **कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना:** इसका उद्देश्य कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करना है।
  - कुल परिव्यय 2,291 करोड़ रुपये।
  - **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ; कृषि अनुसंधान और शिक्षा का आधुनिकीकरण; नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप; डिजिटल डीपीआई, एआई, बिग डेटा, रिमोट इत्यादि जैसी नवीनतम तकनीक का उपयोग और प्राकृतिक खेती और जलवायु लचीलापन शामिल करना।
- **धारणीय पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन:** इसका उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय

बढ़ाना है।
    - कुल 1,702 करोड़ रुपये का परिव्यय।
    - **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:** पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा; डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास; पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, उत्पादन और सुधार; तथा पशु पोषण और छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का उत्पादन और विकास।
- **बागवानी का सतत विकास:** इसका उद्देश्य बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाना है।
    - कुल परिव्यय 1129.30 करोड़ रुपये है।
    - **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:** उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण बागवानी फसलें; जड़, कंद, कन्दीय और शुष्क फसलें; सब्जी, फूलों की खेती और मशरूम की फसलें; तथा वृक्षारोपण, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे।
- 1,202 करोड़ रुपये के व्यय से कृषि विज्ञान केन्द्र को सुदृढ़ बनाना।
- 1,115 करोड़ रुपये के व्यय से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन।

डिजिटल कृषि मिशन का महत्त्व

- **कुशल सेवाएँ:** समय पर मानसून की वर्षा की तरह किसानों को सेवाओं और योजनाओं तक तीव्र पहुँच प्राप्त होगी।
- **डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि:** एआई-संचालित फसल पूर्वानुमान और व्यक्तिगत सलाह बेहतर हस्तक्षेप और भविष्य की नीति समर्थन के लिए सहायक हैं।
- **समावेशी विकास और रोजगार:** इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार सृजित करने में उत्प्रेरक प्रभाव डालना है तथा इससे लगभग 2.5 लाख प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं और कृषि सखियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की अपेक्षा है।
- **प्रतिरोध**: जब कीट हमला करेंगे या सूखा पड़ने वाला होगा, तो डीएएम किसानों के लिए **डिजिटल बिजूका** (पक्षियों को डराने का पुतला) बन जाएगा, जो उन्हें पहले से सचेत कर देगा।

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे डीएएम का विकास होगा, भारत के कृषि-तकनीक परिदृश्य में वृद्धि होगा। यह केवल **बाइट्स और एल्गोरिदम** से संबंधित नहीं है; यह हमारे देश को पोषण देने वाली जड़ों को पोषित करने से संबंधित है।
- डिजिटल कृषि मिशन इस महान दृष्टिकोण के साथ संरेखित है - 2047 तक एक विकसित भारत का पोषण करना (विकसित भारत@2047)।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया

संदर्भ

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है, जो 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा।

भारतीय विधि आयोग

- भारतीय विधि आयोग एक **संविधानेत्तर निकाय** है।
- इसका गठन भारत सरकार, **विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक मामलों के विभाग** की अधिसूचना द्वारा किया जाता है।
- इसका गठन विधि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए निश्चित संदर्भ शर्तों के साथ किया जाता है।
- आयोग अपने संदर्भ शर्तों के अनुसार रिपोर्ट के रूप में सरकार को सिफारिशें करता है।
    - हालाँकि ये सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

उत्पत्ति

- **स्वतंत्रता पूर्व:** प्रथम विधि आयोग की स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई थी और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी।
    - प्रथम विधि आयोग ने **1837 में दंड संहिता, 1842 में परिसीमन विधि** तथा **1848 में अभिवचन एवं प्रक्रिया योजना** का प्रारूप तैयार किया।
    - इसके बाद, स्वतंत्रता-पूर्व भारत में तीन और आयोग स्थापित किए गए।
- **स्वतंत्रता के बाद:**स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष **एम.सी.सीतलवाड़** थे।

23वें विधि आयोग का गठन

- आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे;
    - एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
    - चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित);
    - विधिक कार्य विभाग के सचिव पदेन सदस्य;
    - विधायी विभाग के सचिव पदेन सदस्य; तथा पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं।

Source: BL

भारत की चीन से संबंधित विशेष समस्या

संदर्भ

- विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के समक्ष विश्व की चीन से संबंधित सामान्य समस्या से बढ़कर विशेष समस्या है।

परिचय

- यह टिप्पणी राजनयिक स्तर की वार्ता के कुछ दिनों बाद आई है - भारत-चीन सीमा विवाद पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) की 31वीं बैठक सीमा की स्थिति पर बीजिंग में आयोजित की गई थी।
    - दोनों पक्षों ने **"राजनयिक और सैन्य प्रणाली के माध्यम से संपर्क बढ़ाने"** पर सहमति व्यक्त की।
    - सीमा गतिरोध पर द्विपक्षीय वार्ता में पहली बार **"मतभेदों को कम करना"** शब्द का प्रयोग किया गया और कूटनीतिक भाषा में यह वार्ता में प्रगति का संकेत देता है।
- सीमा पर गतिरोध पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से जारी है और दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग 50,000-60,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं।
    - गालवान घाटी, पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी तट और गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र जैसे तनाव वाले क्षेत्रों में एलएसी पर बफर जोन बनाने के साथ गतिरोध की शुरुआत से ही कुछ समाधान देखने को मिला है।
    - एलएसी पर आखिरी औपचारिक वापसी 2022 में हुई थी, जब दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट-15 से सैनिकों को पीछे हटा लिया था।

Source: IE

ई-श्रम पोर्टल

संदर्भ

- हाल ही में, ई-श्रम पोर्टल ने लॉन्च के बाद सिर्फ 3 वर्षों की अवधि में 30 करोड़ से अधिक पंजीकरण हासिल किए।

ईश्रम पोर्टल के संदर्भ में

- इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था।
- यह असंगठित श्रमिकों (NDUW) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो मुख्य रूप से असंगठित श्रमिकों को लक्षित करता है, जिसमें निर्माण, कृषि, घरेलू काम और स्ट्रीट वेंडिंग जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग शामिल हैं।
- ई-श्रम पर असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए कोई आय मानदंड नहीं है। हालाँकि, श्रमिक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों की विशिष्ट संख्या होगी।

  - यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) 12 अंकों की एक संख्या है, जो ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक असंगठित श्रमिक को विशिष्ट रूप से सौंपी जाती है।
  - यूएएन एक स्थायी संख्या है, यानी एक बार आवंटित होने के बाद, यह किसी भी श्रमिक के लिए अपरिवर्तित रहेगी।
- सरकार ई-श्रम को एक व्यापक **'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन'** के रूप में देखती है। इसका तात्पर्य है कि पोर्टल में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करना, जिससे श्रमिकों के लिए लाभों तक पहुँच आसान हो सके।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)**, **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)**, **आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)** जैसी प्रमुख योजनाओं को ई-श्रम से जोड़ा जा रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि पात्र श्रमिक आवश्यक सेवाओं से वंचित न रहें।
- यह ई-श्रम को **स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH)** के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे दोनों प्लेटफार्मों पर निर्बाध पंजीकरण और सेवाओं तक पहुँच की अनुमति मिलती है।

Source: PIB

राष्ट्रीय पोषण माह 2024

संदर्भ

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राष्ट्रव्यापी **"राष्ट्रीय पोषण माह"** के सातवें संस्करण का शुभारंभ किया।

पोषण माह के संदर्भ में

- यह युवा बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए जन भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक लामबंदी को बढ़ावा दे रहा है।
  - यह पहल सभी के लिए स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित कर रही है।
- इसमें एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ायी भी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी और **'एक पेड़ माँ के नाम'** जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मिशन पोषण 2.0

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने मिशन पोषण 2.0 के माध्यम से देश भर में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
- पोषण माह का उद्देश्य कुपोषण से निपटने के प्रयासों को तीव्र करना और पूरे देश में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।

Source: AIR

LGBTQIA+ समुदाय के लिए पहल

सुर्ख़ियों में

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (DoSJE) LGBTQIA+ समुदाय के लिए समावेशी और प्रभावी नीतियाँ सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों और जनता से इनपुट माँग रहा है।

LGBTQIA+ समुदाय के संदर्भ में

- संक्षिप्त नाम 'LGBTIQA+' एक निरंतर विकसित होने वाला शब्द है, जो समुदाय के भीतर विभिन्न पहचानों को समाहित करता है।
- इसका तात्पर्य है **लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर, एसेक्सुअल** और अन्य।

पहल

- वर्ष 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने **भारतीय दंड संहिता की धारा - 377** को आंशिक रूप से निरस्त करके समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया।
- **समलैंगिक विवाह:** अक्टूबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे ऐसे विवाहों की स्थिति को मान्यता नहीं मिली।
    - भारतीय न्यायालयों ने समलैंगिक दम्पतियों के सहवास के अधिकार को स्वीकार किया है, किन्तु समलैंगिक विवाह या मिलन को विधिक मान्यता नहीं दी गई है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**वर्ष 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक समुदाय के लिए अधिकारों को परिभाषित करने और स्पष्ट करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्देश दिया।
- उप-समिति ने भेदभाव और सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच को संबोधित करने के लिए बैठक की।
    - समलैंगिक समुदाय की सुरक्षा के लिए जेल में **मुलाकात के अधिकार** और विधि प्रवर्तन उपायों पर परामर्श जारी किए गए।
- **राशन कार्ड:** खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक परामर्श जारी कर कहा है कि समलैंगिक सम्बन्ध में रहने वाले लोगों को भी राशन कार्ड के लिए उसी परिवार का सदस्य माना जाए।
- **बैंक खाते:** वित्तीय सेवा विभाग ने स्पष्ट किया है कि समलैंगिक व्यक्ति संयुक्त बैंक खाते खोल सकते हैं तथा अपने साझेदार को लाभार्थी के रूप में नामित कर सकते हैं।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जागरूकता गतिविधियों, धर्मांतरण चिकित्सा पर प्रतिबंध, लिंग परिवर्तन सर्जरी और टेली-परामर्श सहित स्वास्थ्य देखभाल अधिकारों पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- **चिकित्सा हस्तक्षेप**: इंटरसेक्स बच्चों के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए तथा मंत्रालय समलैंगिक समुदाय के लिए मानसिक स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों पर कार्य कर रहा है।
- **"स्माइल - आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों के लिए सहायता"** योजना 12 फरवरी, 2022 को प्रारंभ की गई थी।

- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना:** यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास पर केंद्रित है।

- ***ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा -13*** में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य लोगों के साथ समान आधार पर बिना किसी भेदभाव के समावेशी शिक्षा और खेल, मनोरंजन तथा अवकाश गतिविधियों के अवसर प्रदान करेगा।

Source:TH

एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल

सुर्ख़ियों में

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया।

- उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों को उनके प्रयासों की मान्यता और सराहना हेतु एआईएफ उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए।

परिचय

- **एग्रीश्योर फंड**: इसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स और कृषि उद्यमियों को समर्थन प्रदान करना है।
  - यह फंड इक्विटी और ऋण दोनों तरह की सहायता प्रदान करेगा।
  - यह फंड क्षेत्र-विशिष्ट, क्षेत्र-अज्ञेय और ऋण एआईएफ को सहायता प्रदान करेगा।
  - यह स्टार्ट-अप को प्रत्यक्ष इक्विटी सहायता भी प्रदान करेगा।
  - **फोकस:** निवेश कृषि मूल्य श्रृंखला के भीतर उच्च जोखिम, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को लक्षित करेगा।
  - इस पहल का उद्देश्य भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- **कृषि निवेश पोर्टल:** इसका उद्देश्य भारत में कृषि निवेश को बढ़ावा देना है।
  - यह पोर्टल एक एकीकृत, केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा।
  - इसका उद्देश्य कृषि-निवेशकों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करना है।
  - यह पोर्टल निवेशकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुँचने में मदद करेगा।

क्या आप जानते हैं ?

- **कृषि अवसंरचना निधि (AIF)** योजना 2020 में प्रारंभ की गई थी।
- **उद्देश्य:** फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण करना।
  - एआईएफ योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

Source:PIB

ऑपरेशन भेड़िया

संदर्भ

- उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में भेड़ियों के एक झुंड को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया प्रारंभ किया है।
    - वन विभाग ने उन्हें पकड़ने के लिए बच्चों के मूत्र में भिगोई गई रंग-बिरंगी टेडी गुड़ियों को चारा के रूप में इस्तेमाल करने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ किया है।

परिचय

- हाल ही में, उफनती घाघरा नदी के जंगलों ने उनके मूल निवास स्थान को नष्ट कर दिया है।
- वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का सबसे बड़ा हमला हुआ था, जिसके कारण जौनपुर में 42 बच्चों की मृत्यु हो गई थी।
- भारतीय भेड़ियों को मृत पशुओं का शिकार करने वाले अपमार्जक के रूप में जाना जाता है।
    - हालाँकि, जब प्राकृतिक शिकार कम होता है, तो वे मवेशियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इन जानवरों का बच्चों को भी शिकार बनाने का इतिहास रहा है।
- भारतीय भेड़ियों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है, यद्यपि अनुमान है कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनकी संख्या 2,000 से 3,000 के बीच है।
    - **आईयूसीएन स्थिति:** कम चिंताजनक
    - भेड़िया को **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972** के अंतर्गत अनुसूची-I में वर्गीकृत किया गया है।

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (a) के अंतर्गत किसी राज्य के मुख्य वन्यजीव अधीक्षक को मानव जीवन के लिए खतरनाक या विकलांग या उपचारित ना होने वाले रोगग्रस्त जानवरों के शिकार की अनुमति देने का अधिकार है।

Source: TH

हयाओ मियाज़ाकी ने मैग्सेसे पुरस्कार (2024) जीता

संदर्भ

- प्रशंसित जापानी एनिमेटर और स्टूडियो घिबली के सह-संस्थापक हयाओ मियाज़ाकी को 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में

- यह एशिया का प्रमुख पुरस्कार और सर्वोच्च सम्मान है, जो एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा में प्रकट की गई भावना की महानता को मान्यता देता है।
- इसे प्रायः **एशिया का नोबेल पुरस्कार** कहा जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण और शांति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।
- पुरस्कार विजेताओं का चयन **रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन (RMAF)** के न्यासी बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।
- यह एशिया में व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता और सम्मान देता है, चाहे उनकी जाति, पंथ, लिंग या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, जिन्होंने विशिष्टता हासिल की है और सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना दूसरों की उदारतापूर्वक मदद की है।

पृष्ठभूमि

- यह पुरस्कार 31 अगस्त को **मनीला, फिलीपींस** में औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है, जो कि फिलीपींस के बहु-सम्मानित राष्ट्रपति की जयंती है, जिनके विचारों से 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना की प्रेरणा मिली थी।
  - **रेमन मैग्सेसे** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलीपींस के **तीसरे राष्ट्रपति** थे।

सूची में भारतीय

- 1958 में **विनोबा भावे**; 1962 में **मदर टेरेसा**; 1966 में **कमलादेवी चट्टोपाध्याय**; 1967 में **सत्यजीत रे**; 1997 में **महाश्वेता देवी**; 2006 में **अरविन्द केजरीवाल**; 2015 में गूंज के **अंशू गुप्ता**; 2016 में **बेजवाड़ा विल्सन** (मानवाधिकार कार्यकर्ता); और 2019 में **रवीश कुमार** (पत्रकार)।

Source: IE

■■■■